पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2022 ई0 (श्रावण 01, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	605–626	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	665–668	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	297–298	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई अनुभाग–01

अधिसूचना

04 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 642 / II(1)-2022-01(142)/2016 टी0सी–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, मेट कर्मचारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग मेट (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2022

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, मेट (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2022" है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, मेट सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का "संविधान" के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ड़) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी/मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, मेट (समूह 'ग') सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) "अधीक्षण अभियन्ता" से सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के सम्बन्धित मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता अभिप्रेत है;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है;

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगें, अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–3
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में मेट के पदों पर शत प्रतिशत भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार
अर्हता

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका, और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8. मेट के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से इण्टरमीडियट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अधिमान्य अर्हतायें 9. ऐसे अभ्यर्थी को

(1) जिसने प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, अथवा

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता 10. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित उपबन्धों/शर्तों के अधीन होगी।

आयु 11. (1) सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यार्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ विज्ञापित की जाए, उस वर्ष की पहली जुलाई को उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त ना की हो जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये।

परन्तु यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जैसा कि विहित किया

चरित्र 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान करेगा।

टिप्पणी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा या संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगें:

परन्तु, यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता 14. किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसें अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग III अध्याय III में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या क 49) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिह्नित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिह्नित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग–5
भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा 15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेगें।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग अभ्यर्थियों प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(4) (एक) चयन के लिए, 100 अंको की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेगे। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्ताकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Key) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को आयोग की वैबसाईट htts: | |sssc.uk.gov.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जायेगी:

परन्तु यह है कि ऐसे पद, जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हो, लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्ही अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानको को पूरा करते हो।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको और अन्य मूल्यांकनों जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंको का जोड होगा, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

भाग–6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17. नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में से, विभागाध्यक्ष द्वारा वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को सम्बन्धित मण्डल/खण्ड में नियुक्ति करने हेतु आवंटित किया जायेगा तथा नियुक्ति/पदस्थापना आदेश सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता जिनके अधीन पद रिक्त है, के स्तर से जारी किये जायेंगे।

परिवीक्षा 18. (1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष सेवा की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाये, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है,

परन्तु यह कि, आपवादित स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद

पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी समाप्त की जा सकेगी।

(3) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गई है।

स्थायीकरण 19. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि :–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 20. किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7
वेतन आदि

वेतनमान 21. (1) सेवा में विभिन्न पदों पर, मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से, नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट–'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 22. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी

परन्तु, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो, इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

भाग–8
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों के अतिरिक्त किसी लिखित अथवा मौखिक समर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अधीन नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 25. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियमों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती हैं, वे इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो, वह मामले के न्यायसंगत तथा साम्यतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये उचित समझें।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्त करने या उसको शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति 26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट (क)

(नियम–4(2) एवं नियम–20(2) देखिये)

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन(मैट्रिक्स)
1	2	3	4
1	मेट	552	19900–63200 (स्तर–2)

आज्ञा से,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.642 / II(1)-2022-01(142)/2016 T.C** dated July 04, 2022 for general information.

NOTIFICATION

July 04, 2022

No.642 / II(1)-2022-01(142)/2016 T.C--In exercise of the power conferred under the proviso to article 309 of "the Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating, the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the service of the Uttarakhand Irrigation Department, Mate Employees Service.

THE UTTARAKHAND IRRIGATION DEPARTMENT, MATE (GROUP "C")

SERVICE RULES, 2022

PART-1

GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the "Uttarakhand Irrigation Department, Mate (Group "C") Service Rules, 2022"

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Irrigation Department, Mate Service is a subordinate service in which comprisies Group "C" posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

Uttarakhand;

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under part II of the Consitution of India;

(c)**"Commission"** means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(d) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(e) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **"Member of the service"** means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in force prior of the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the service;

(h) **"Service"** means Uttarakhand Irrigation Department Mate (Group C) Service;

(i) **"Substantive appointment"** means an appointment not being an ad-hoc appointment on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government, and

(j) **"Superintending Engineer"** means the Superintending Engineer of concerned Circle of Irrigation Department Uttarakhand;

(k) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;

PART-II
CADRE

Cadre of the Service

4. (1) The strength of the service and of each categories of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule(1) as given in Appendix 'A'.

Provided that,

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

PART-III
RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Hundered percent recruitment to the posts of service of Mate shall be made by direct recruitment through the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the

PART-IV

QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be -

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanent settling in India or,

(c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and any or the East African countries of Kenya, Uganda and the Untied Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b)or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that, if a candidate belonging to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and such a candidate be retained in the service for a period exceeding one year subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed. Subject to the necessary

Educational Qualification	8.	A candidate for direct recruitment to the post of Mate must have passed the Intermediate examination from the Uttarakhand Board of School Education or any equivalent examination recognized by the Government.
Preferential Qualification	9.	A candidate who has- (1) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (2) obtained 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps (NCC) shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
Compulsory/Desirable Qualification	10.	The compulsory/desirable qualification shall be in accordance with the provisions/conditions vested in the Essential/Desirable Qualification for the Recruitment of Group 'C' posts within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the Purview of the Public Service Commission, (as amended from time to time).
Age	11.	The candidate for direct recruitment must have attain the minimum and must not have attained the maximum age on the 1st July of the calendar year in which the vacancies are advertised as may be described by the state government from time to time. Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	12.	The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government

Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall not be eligible for appointment to the post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also not be eligible for appointment.

Marital Status

13. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

14. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules made under Fundamental rule-10, contained in Chapter-III of the Finance Hand Book volume-II, Part-III;

Provided that in order of section 33 the post identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the Rights Of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016), the disabled shall not be denied for appointment as per rules.

PART-V
PROCEDURE OF RECRUITMENT

Determination of Vacancies

15. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6.

Procedure for Direct Recruitment

16. (1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the prescribed form as published in the advertisement.

(2) No Candidate shall be admitted to the examination unless he holds the admit card issued by the Commission.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidates in the written examination. The number of names in the list shall be more than the number of vacancies (but not more than twenty five percent). The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

(4)(i) For selection the written examination shall be objective type of 100 marks, the retrenched employees shall be awarded 05 marks for each year of completed service subject to maximum of 15 marks. The merit list shall be prepared on the basis of aggregate of marks obtained in the written examination and other

(ii)(a) The written examination shall consists of a single question paper, which shall include General Hindi, General knowledge and General Studies. In evaluation of question paper, one mark for every correct answer and for every wrong answer ¼ negative marks shall be given.

(b) Candidates shall be given permission to take question booklet of written examination with him/her after the examination.

(c) The answer sheet of written examination shall be in duplicate with a carbon copy and the permission shall be given to candidate to take the duplicate copy with him/her.

(d) After the written examination, the answer key of the written examination shall be displayed on the website htts: | |sssc.uk.gov.in of the commission or shall be published in the daily newspaper which has having wide circulation:

Provided that such posts, for which any physical standard has been prescribed as a mandatory qualification or as a mode of recruitment, shall be required to conduct the prescribed physical examination of the candidates before the written examination and only such candidates shall be given permission to appear in the examination who fulfills the prescribed minimum standards for the post.

(5) The merit list (final selection list) shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination as well as other evaluations in which preferential marks for the retrenched employees

shall also be counted. If two or more candidates score equal marks in totality, then, the candidate elder in age shall be placed at the top of the selection list. The number of names in the selection list shall be more than the number of vacancies (but not more than twenty five percent).

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. For appointment, the candidates appearing in the list prepared by the Commission under rule -16 shall be allocated the Division/Circle strictly in the order of merit by Head of Department and the appointment posting order shall be issued at the level of the concerned Superintending Engineer under which the vacant post exists.

Probation

18. (1) A person on appointment to a post in service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two year.

The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the period is extended:

Provided that, in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years.

(2) If it appears to the appointing authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has

otherwise fail to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer, who is reverted or whose service are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in a officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into a account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if:-

(a) His work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) His integrity is certified; and

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority:

20. The seniority of persons in the service shall be determined in accordance with the "Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002"(as amended from time to time) as per the provision of the Rules in force for the time being.

PART-VII

PAY etc.

Scale of pay

21. (1) The scale of pay admissible to a persons, appointed to the various categories of the post in the service, whether in substantive

of officiating capacity or as temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these Rules is given in Appendix "A".

Pay during probation

22. (1) A person on probation,if he is not already in permanent service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

PART VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered under these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, may relax or dispensed or relax the requirements of the rules to such extent and subject to such conditions as may consider necessary for dealing the case in a just and equitable manner:
Provided that where a rule has been made in consultation with the Commission, the Commission shall be consulted before the Rules is dispensed with or relaxed.

Savings

26. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Class, Economically Weaker Sections and other categories in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX-'A'
(See rule- 4(2) and rule-20(2))

1	2	3	4
Sl. No.	Name of Post	No. of posts	Pay Matrix
1.	Mate	552	Rs. 19900-63200 (level-2)

By Order,

HARI CHANDRA SEMWAL,

Secretary

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2022 ई0 (श्रावण 01, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

April 20, 2022

No. 366/I-01-2019--Certified that the office of the Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh was handed over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No.119/UHC/Admin.A/2022, dated April 04, 2022, as hereinafter denoted, in the afternoon of April 15, 2022.

RASHMI GOYAL,

Civil Judge (Sr. Div.),

Pithoragarh

Counter-signed,

illegible,

District Judge.

CERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE

April 20, 2022

No. 367/I-01-2022--Certified that the office of the Civil Judge (Junior Division), Pithoragarh was taken over under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No.127/UHC/Admin.A/2022, dated April 04, 2022, as hereinafter denoted, in the morning of April 17, 2022.

POONAM TODI,
Civil Judge (Jr. Div.),
Pithoragarh

Counter-signed,
illegible,
District Judge,
Pithoragarh.

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

March 21, 2022

No. 275(07)/I-10-2020--Certified that the office of the District & Sessions Judge, Pithoragarh was handed over on proceeding to medical leave w.e.f. 22-01-2022 to 20-03-2022 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of January 22, 2022.

DR. GYANENDRA KUMAR SHARMA,
District & Sessions Judge,
Pithoragarh.

Counter-signed,
illegible,
Registrar General,
Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

March 21, 2022

No. 276(07)/I-10-2020--Certified that the office of the District & Sessions Judge, Pithoragarh was taken over after availing medical leave w.e.f. 22-01-2022 to 20-03-2022 in anticipation of sanction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of March 21, 2022.

DR. GYANENDRA KUMAR SHARMA,
District & Sessions Judge,
Pithoragarh.

Counter-signed,
illegible,

HIGH COURT OF UTTARAKHAND

NAINITAL

NOTIFICATION

June 03, 2022

No. 174/UHC/XIV-81/Admin.A/2003--Ms. Anjushree Juyal, Judge, Family Court, Nainital, is hereby sanctioned Child care leave of 38 days w.e.f. 18.04.2022 to 25.05.2022 with permission to prefix 17.04.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 06, 2022

No. 175/XIV/a-27/Admin.A/2016--Shri Ramesh Chandra, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 06.05.2022 to 30.05.2022.

NOTIFICATION

June 08, 2022

No. 176/XIV/39/Admin.A--Shri G.K. Sharma, District & Sessions Judge, Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 52 days w.e.f. 01.04.2022 to 22.05.2022.

NOTIFICATION

June 08, 2022

No. 177/XIV-a/37/Admin.A/2013--Shri Sachin Kumar Pathak, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 09.05.2022 to 28.05.2022 with permission to prefix 08.05.2022 and suffix 29.05.2022 as Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

June 10, 2022

No. 178/XIV-60/Admin.A/2003--Shri Kaushal Kishore Shukla, District & Sessions Judge, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 17.05.2022 to 26.05.2022 with permission to prefix 15.05.2022 & 16.05.2022 as Sunday & Buddha Purnima holidays respectively.

NOTIFICATION

June 10, 2022

No. 179/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 23.05.2022 to 31.05.2022 with permission to prefix 22.05.2022 as Sunday holidays for the purpose of **L.T.C.**

NOTIFICATION

June 10, 2022

No. 180/XIV-a-23/Admin.A/2011--Ms. Shivani Pasbola, the then Chief Judicial Magistrate, Champawat presently posted as Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 13.01.2022 to 29.01.2022 with permission to suffix 30.01.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 10, 2022

No. 181/XIV-a-36/Admin.A/2015--Shri Alok Ram Tripathi, Principal Magistrate (1st class), Juvenile Justice Board, Rudrapur, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 17.05.2022 to 31.05.2022 with permission to prefix 14.05.2022 & 15.05.2022 as second Saturday, Sunday and 16.05.2022 as Buddha Purnima holidays respectively.

NOTIFICATION

June 13, 2022

No. 182/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungrakoti, Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Haridwar, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 26.05.2022 to 07.06.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

June 21, 2022

No. 185/UHC/Admin.A/2022--Shri Rahul Kumar Srivastava, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is given charge of Principal Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Haridwar, in addition to his present duties.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA

Registrar General

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/466–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक आर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2022 ई0 (श्रावण 01, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पति के आर्मी रिकार्ड में मेरा नाम भागीरथी देवी और जन्मतिथि 05.01.1971 गलत दर्ज हैं जबकि सही नाम भागीरथी भंडारी, जन्मतिथि 05.12.1968 है, भविष्य में मुझे सही नाम भागीरथी भंडारी पत्नी दान सिंह भंडारी आर्मी नंबर 14800523W से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

भागीरथी भंडारी पत्नी दान सिंह भंडारी

निवासी गली नंबर 27 कृष्णा नगर रूडकी।

सूचना

मेरे पति के सेवा अभिलेखों में मेरा और मेरे पति का नाम "दीना दरियाल और ऊपर सिंह दरियाल अंकित है, जबकि अन्य अभिलेखों" में द्रोपदी दरियाल और यू0एस0दरियाल अंकित है। उक्त दोनों ही नाम मेरे और मेरे पति के है।

समस्त विधिक कार्यवाही/औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

द्रोपदी दरियाल पत्नी यू0एस0
दरियाल जी0जी0आईसी0 रोड
निवासी घन्टाकरण, पिथौरागढ़।

सूचना

शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम Karsen Pal (कृष्णपाल) अंकित है, जबकि मेरा प्रचलित नाम कृष्ण पाल तोमर है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कृष्ण पाल तोमर पुत्र सुखपाल सिंह
निवासी ग्राम मथाना तहसील लक्सर,
जिला हरिद्वार।

सूचना

मैं उषा सिंह (Usha Singh) पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह एवं मेरे पति श्री अनिल कुमार सिंह Ex MCEAP-II, N0. 190827-Z Ex Indian Navy के सैन्य अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम उषा देवी (Usha Devi) दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम उषा सिंह (Usha Singh) है। भविष्य में मेरा नाम उषा सिंह (Usha Singh) पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

उषा सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार
सिंह निवासी शिवालिक विला,
ट्यूबवैल रोड़, नियर राणा चौक,
श्यामपुर, पो. अम्बीवाला देहरादून,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/466–भाग 8 2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।